Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ श्रीगंगानगर (नई मंडी घड़साना) के पटवारी को बीकानेर, एसीबी टीम द्वारा पांच हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 12, अगस्त मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अंकुश बाघला पटवारी पटवार हल्का 2 एमजीएम (बी) घड़साना जिला श्रीगंगानगर को **पांच हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. बीकानेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पटवारी अंकुश बाघला द्वारा परिवादी के दादाजी की जमीन का नामांतरकरण परिवादी के पिताजी के नाम करवाने की ऐवज में 15,000/– रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला द्वारा परिवादी से 10,000/– रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत राशि कम करते हुए **5000/– रुपये** रिश्वत राशि अपनी कार्यालय की टेबल की दराज में रखवाकर प्राप्त की गई।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेन्ज के **उप महानिरीक्षक श्री भुवन भुषण यादव** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार** के निर्देशन में आज **श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक** व **श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक** एवं टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अंकुश बाघला पटवारी पटवार हल्का 2 एमजेएम (बी) घड़साना जिला श्रीगंगानगर को पांच हजार रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज श्री भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।